FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0250 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/09/2025 17:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/09/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/09/2025 **Time (समय):** 15:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/09/2025 17:51:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT, RAHLANA, DUDU

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURESH JYANI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMDHAN JYANI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAHLANA, DUDU, DUDU, दूदू, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAHLANA, DUDU, DUDU, दूदू, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SONAKSHI YADAV		पति:SUNIL YADAV	1. VDO,RAHLANA PANCHAYAT SAMITI DUDU,DUDU,दूदू, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	1000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं सुरेश ज्याणी पुत्र श्री रामधन ज्याणी गांव रहलाना, जिला जयपुर का रहने वाला हूं। मैं खेतीबाडी का काम करता हूं। मेरे गांव रहलाना में मैने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए करीब पांच-छः माह पूर्व मोबाईल से आवेदन किया था, जिस पर करीब एक-दो माह पूर्व ग्राम सेवक श्रीमती सोनाक्षी यादव मेरे घर पर आयी तथा फोटो खेंच कर गई तथा मुझे कहा कि 2500 रूपये लगेंगे, जब तुम्हारे पैसे आयेंगे। मैं खाते मे पैसे नही आने पर मैने ग्राम सेवक से सम्पर्क किया तो उसने 2500 की मांग की तो मैने ग्राम सेवक को 1000 रूपये दिये तो ग्राम सेवक ने कहा कि 1500 रूपये और देने पडेंगे तब ही तुम्हारे पैसे पास होंगे। मैं भ्रष्ट ग्राम सेवक को रिश्वत नही देना चाहता हूं । बल्कि ट्रेप करवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी, एस.डी., सुरेश ज्याणी, निवासी गांव रहलाना, जिला जयपुर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0, अजमेर दिनांक 26.08.2025 समय 03.30 पीएम समय 02.28 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ने जरिये वाट्सएप कॉल मुझे बताया कि रहलाना की ग्राम सेवक मेरे से रिश्वत मांग रही है। चूंकि मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि, मय वाहन सरकारी मय चालक के जयपुर से अजमेर आ रही थी, इसलिए मैने परिवादी को पडासौली पुलिया के नीचे मिलने हेतु निर्देश दिये। इस समय मन् निरीक्षक पुलिस कंचन भाटी पडासोली पुलिया के पास पहुंची, जहां परिवादी उपस्थित मिला, जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने परिचय देकर उसका परिचय प्राप्त किया तो परिवादी ने अपना नाम श्री सुरेश ज्याणी पुत्र श्री रामधन ज्याणी उम्र 33 साल निवासी गांव रहलाना, जिला जयपुर मोबाईल नम्बर 9636841088 होना बताया तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा बताया कि ''मैने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण हेतु पांच-छः महिने पहले मोबाईल एप से मेरी पत्नी कमला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना एप से ऑन लाईन आवेदन किया था उसके बाद एक-दो महिने पहले श्रीमती सोनाक्षी यादव, ग्राम सेवक मेरे घर पर फोटो खिंचने आयी तब मेरे से 2500 रूपये की मांग की। मुझे कहा कि पैसे नही दोगे तो तुम्हारे मकान के पैसे तुम्हारे खाते में नही आयेंगे। काफी दिन होने पर भी मेरे खाते में पैसे नही आने पर तथा मुझे मकान के लिए पैसो की आवश्यकता होने से दबाव मे आकर मैने कुछ दिन पहले एक हजार रूपये श्रीमती सोनाक्षी यादव को दिये तो उसने कहा कि 1500 रूपये और दोगे तब ही तुम्हारे खाते में पैसे आयेंगे। मैं अपने जायज काम के बदले में श्रीमती सोनाक्षी यादव को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। दरियाफ्त पर बताया कि मेरी श्रीमती सोनाक्षी यादव से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मैने मेरी पत्नी कमला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु मोबाईल से आवेदन करवाया था। आवेदन की फोटो मैने नही ली थी इसलिए मैं आवेदन की फोटो पेश करने में असमर्थ हूं। लेकिन मेरे आवेदन करने के तीन-चार महिने बाद श्रीमती सोनाक्षी यादव मेरे घर पर आयी थी तथा मेरे घर की एवं मेरे चाचा के घर की फोटो खेंच कर गई थी। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व स्वयम् मात्र साक्षर होने से पढ़ने-लिखने में असमर्थ होने से उक्त रिपोर्ट टाईप करवाकर लाना बताते हुए रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया तो परिवादी ने बताया कि आज तो सोनाक्षी यादव जयपुर रवाना हो गई तथा मेरे अभी पांच-सात दिन काम है। मैं काम से फ्री होकर आपको फोन कर दूंगा। उसके बाद रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती हैं। इसलिए परिवादी को आवश्यक हिदयात कर मौके पर फारिक कर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि मय वाहन सरकारी मय श्री भरत सिंह कानि0 के पडासौली पुलिया से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंची। दिनांक 08.09.2025 को परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ने जरिये वाट्सएप कॉल बताया कि आज सोनाक्षी यादव ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय में है, जिससे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो सकती हैं। इस पर श्री मनफूल कानि0 को मय वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया गया। सायं 07.00 पीएम पर श्री मनफूल कानि0 मय वॉयस रिकार्डर उपस्थित कार्यालय आया एवं अवगत कराया कि ''परिवादी को वॉयस रिकार्डर चालु कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ग्राम पंचायत रहलाना कार्यालय के लिए रवाना किया। कुछ समय पश्चात् परिवादी उपस्थित आया तथा बताया कि श्रीमती सोनाक्षी से मैं वार्ता कर

ही रहा था कि वहां सफाई कर्मचारी आ गया इसलिए ग्राम सेवक वार्ता करते-करते ही रवाना होकर दूर चली गई। कुछ समय पश्चात् पुनः परिवादी को ग्राम सेवक से वार्ता करने हेतु रवाना किया तो श्रीमती सोनाक्षी ग्राम सेवक मोटर साईकिल पर पीछे बैठकर रवाना हो गई इसलिए वार्ता नही हो पायी। दिनांक 11.09.2025 को परिवादी श्री सुरेश ज्याणी का फोन आने पर श्री मनफूल कानि0 को मय वॉयस रिकार्डर रवाना किया, जिसने जरिये वाट्सएप कॉल मन् निरीक्षक पुलिस की परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि ''मैंने ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचकर श्रीमती सोनाक्षी से अपने मकान के पैसे पास करने के बारे में बात की तो उसने कहा कितने बाकी है तो मैने कहा कि 1500 रूपये बाकी है तो उसने कहा कि दे दो आपका काम कर दूंगी, जिस पर मैने उसको 500 रूपये दिये तथा कहा कि शेष 1000 रूपये कल दे दूंगा।'' इस पर श्री मनफूल कानि0 से वार्ता की तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की। तत्पश्चात् श्री मनफूल कानि0 उपस्थित कार्यालय हुआ एवं वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर उपरोक्त तथ्य दौहराये। इस पर वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। इस स्वतन्त्र गवाह श्री अशोक शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती रिजा बंशीवाल महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय सीपीडीओ, पुष्कर जिला अजमेर को तलब कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया जाकर स्वतन्त्र गवाह रहने मौखिक सहमति प्राप्त की। दोनो को पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 12.09.2025 को समय 10.00 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आये परन्तु आरोपिता के अपने कार्यालय में नही आने से दोनो गवाहान को रूखसत किया गया दिनांक 15.09.2025 समय 09.30 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय एसीबी स्टॉफ मय श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मय दो प्राईवेट वाहनो के एसीबी इन्टे0, अजमेर से रवाना होकर पडासौली पुलिया के पास पहुंची कुछ समय बाद परिवादी श्री सुरेश ज्याणी उपस्थित आया। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी स्टॉफ का आपस में परिचय करवाया गया। समय 11.00 एएम पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 2 नोट कुल राशि 1000 रूपये प्रस्तुत किये। उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाये जाकर श्री जगदीश प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर प्राईवेट वाहन की पीछे की सीट पर अखबार बिछाकर श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास सुरक्षित रखवाई गई फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी से उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सुरेश ज्याणी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री जगदीश से रखवायी गयी तथा परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया। गुलाबी घोल को फिंकवाकर एवं अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को श्री जगदीश से जलाकर नष्ट करवाया। परिवादी को अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन-देन होने का इशारा करने हेतु समझाया गया तथा ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी उक्त इशारा समझाया गया। श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी के कार्यालय के लिए रवाना किया गया। गवाहान व परिवादी के समक्ष वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को लैपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क ''एम'' अंकित किया। आरोपिता के उपस्थित नही आने पर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी की दाहिनी जेब में से रिश्वत राशि गवाह श्री अशोक शर्मा से निकलवायी जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवायी जाकर लिफाफा गवाह श्री अशोक शर्मा के पास सुरक्षित रखावाया गया। परिवादी को मौके पर फारिक कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय जब्तशुदा आर्टिकल मय ट्रेप हेतु आवश्यक सामग्री के रवाना होकर कार्यालय पहुंची तथा लिफाफा रिश्वत राशि, रिकार्डर एवं जब्तशुदा आर्टिकल अलमारी में सुरक्षित रखे गये। दिनांक 17.09.2025 को मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी स्टॉफ मय श्री जगदीश मय लिफाफा व आवश्यक सामग्री के दो प्राईवेट वाहनो से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर किशनगढ़ टोल के पास पहुंचकर मुकिम रही परन्तु आरोपिता के ग्राम पंचायत कार्यालय नही आने से कार्यवाही नही होने से मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान रवाना होकर एसीबी ऑफिस पहुंची। दिनांक 24.09.2025 समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ने जरिये वाट्सएप कॉल बताया कि आज आरोपिता उपस्थित आयेगी। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, एसीबी स्टॉफ, श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय लिफाफा रिश्वत राशि मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से रवाना होकर ग्राम रहलाना से कुछ पहले पहुंची, जहां परिवादी सुरेश ज्याणी उपस्थित मिला। दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सफेद लिफाफे में से रिश्वत राशि 500-500 रूपये के दो नोट निकलवाकर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी की पेंट की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। लिफाफा को जलाया गया। श्री मनफूल कानि0 को वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी की मोटर साईकिल से परिवादी के साथ रवाना किया। श्री मनफूल कानि0 को हिदायत दी गई की परिवादी रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना हो तब वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय हेतु रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने पहुंची तो परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ग्राम पंचायत के अन्दर प्रवेश होता नजर आया तथा ग्राम

पंचायत के बाहर गेट के बांयी तरफ श्री मनफूल कानि0 खडा नजर आया। समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ने ग्राम पंचायत रहलाना परिसर के गेट पर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि लेन-देन का इशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि, श्री हुकमाराम कानि0, श्री भरत सिंह कानि0, श्री मनफूल कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर के ग्राम पंचायत रहलाना परिसर के गेट पर खडे परिवादी श्री सुरेश ज्याणी के पास पहुंची तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी को हमराह लेकर ग्राम पंचायत रहलाना के अन्दर दाहिनी तरफ खुले स्थान पर पहुंची, जहां कुर्सीयो के पास एक महिला खडी हुई थी, जिसकी और ईशारा कर परिवादी ने कहा कि यही श्रीमती सोनाक्षी यादव ग्राम विकास अधिकारी है, जिसने मेरे से 1000 रूपये रिश्वत लेकर अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े के कोट की दाहिनी जेब मे रख लिये हैं। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त महिला को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर सोनाक्षी यादव ग्राम विकास अधिकारी रहलाना पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर का परिचय प्राप्त किया। आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो चुप हो गई कुछ नही बोली, पुनः पूछने पर कहा कि ''नही मैम मै खुद नही मांग रही, मेरे आगे भी मांगते है, पंचायत समिति से, ऐसी कोई बात नही है। लेना नही चाहिए यह मै भी मानती हूं। बिना पैसे के ग्राम पंचायत में कोई काम नही होता है। पंचायत समिति मे देने पड़ते है । मेरे से पहले वीडीयो ने लिये हैं। जनता कहां से दे बार-बार ऐसी कोई बात नही है। सेकेण्ड सर्वेयर को देना पड़ता है।'' इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पंचायत समिति में किसको देने पड़ते है पूछने पर अपने मोबाईल देखने लगी और कहा कि अब नम्बर बताती हूं। उसके बाद कहा मेरे पास नम्बर सेव नही, फिर कहा मुझे नाम याद नही है। इससे स्पष्ट है कि आरोपिता रिश्वत राशि स्वयम् के लिए ले रही थी। इस पर ग्राम पंचायत परिसर में से साफ पानी से भरा हुआ जग मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर एक गिलास के घोल में आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव ग्राम विकास अधिकारी के दांहिने हाथ एवं दुसरे गिलास में बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ के घोल का रंग मटमेला हो गया। दाहिने एवं बांये हाथ के घोल को पृथक-पृथक दो-दो शीशीयो में भरकर दाहिने हाथ के घोल को मार्क RH-1 व RH-2 बांये हाथ के घोल को मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा सील्ड चिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव से रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर गर्दन नीचे कर ली। पुनः पूछने पर कहा कि मेरे समर कोट की दाहिनी जेब मे है और आरोपिता ने अपने शरीर पर कपड़ो के उपर पहने हुए समर कोट के दाहिनी जेब मे से 500-500 रूपये के दो नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह श्रीमती रिजा बंशीवाल को दिलवाये गये तथा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये के दो नोट होकर फर्द से मिलान कर हूबहू होना बताया। उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री अशोक कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर आरोपिता से इसके पहने हुए कपड़ो के उपर पहने हुए समर कोट को ससम्मान उतरवाकर उक्त कोट की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क K-1, K-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव से परिवादी श्री सुरेश कुमार की पत्नी श्रीमती कमला के नाम से किये गये आवेदन के संबंध में पूछा तो बताया कि श्री सुरेश कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती कमला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन किया है तथा वर्ष 2025-26 से प्राप्त ऑन लाईन आवेदन सोफ्टवेयर मे ही रहते है, जिसका प्रिंट नही लेते हुए वेरिफाई होने के बाद एक सूची पंचायत द्वारा दी जाती है तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाती हैं। मेरे पास सुरेश की पत्नी का आवेदन आने पर मैने इसको वेरिफाई कर दिया था।'' आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव ने बताया कि परिवादी की पत्नी का आवेदन पत्र पंचायत समिति दूदू मे मिल सकता हैं। मौके पर काफी भीड़भाड़ होने एवं लाईट की व्यवस्था नही होने के कारण आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव, जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपिता का समर कोट मय हमराहीयान के ग्राम पंचायत रहलाना परिसर से रवाना होकर पुलिस थाना बांदर सिंदरी पहुंची तथा अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपिता के समर कोट की दाहिनी जेब को सुखाकर जेब पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क- ''K'' अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। पूर्व मे गवाह श्री अशोक शर्मा के पास रखवाई गई रिश्वत राशि1000 रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि एक कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''N'' अंकित किया। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थैली मे सील्ड कर मार्क एम-1 अंकित किया गया। विकास अधिकारी दूदू कार्यालय से श्री मनोज शर्मा कनिष्ठ सहायक ने आरोपिता का सेवा विवरण प्रस्तुत किया। परिवादी के कार्य से संबन्धित कनिष्ठ सहायक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि हेतु ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने पर सभी प्रक्रिया ऑन लाईन ही होती है। अब ये किस स्तर पर लम्बित है इसकी जानकारी जिला परिषद, जयपुर से ही प्राप्त हो सकती हैं। आरोपिता के मोबाईल में आवास प्लस योजना एप से परिवादी की पत्नी श्रीमती कमला देवी के आवेदन से संबन्धित पृष्ठ का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्वतन्त्र गवाहान एवं

परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रहलाना, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया है। उक्त ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग कार्यालय के सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री हुकमाराम कानि0 से करवाई गई। मूल मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 2 पेनड्राईव तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थेली मे सील्ड कर मार्क MV अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दो पेनड्राईव को अलग-अलग कागज के लिफाफे मे रखा गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे काम मे ली गई पीतल की नमूना सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री सुरेश ज्याणी ने अपनी पत्नी श्रीमती कमला देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण हेतु मोबाईल से प्रधानमंत्री आवास योजना एप से ऑन लाईन आवेदन किया था उसके बाद एक-दो महिने पहले श्रीमती सोनाक्षी यादव, ग्राम सेवक परिवादी के घर पर फोटो खिंचने आयी तब परिवादी से 2500 रूपये की मांग की। दौराने सत्यापन दिनांक 11.09.2025 को आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी के आवास निर्माण की राशि पास करने की एवज में 1500 रूपये लेना तय कर वक्त सत्यापन 500 रूपये प्राप्त किये तथा शेष रिश्वत राशि आज दिनांक 24.09.2025 को अपने हाथो से प्राप्त कर अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ो के उपर पहनी समर कोट की दाहिनी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई तथा आरोपिता के दाहिने हाथ एवं समर कोट की जेब का धोवण हल्का गुलाबी होना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपिता श्रीमती सोनाक्षी यादव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रहलाना, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (कंचन भाटी) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलिजेंस यूनिट, अजमेर ....कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमति कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमति सोनाक्षी यादव पत्नी श्री सुनिल यादव उम्र 27 वर्ष निवासी नया गांव ग्राम पंचायत लसाडिया पुलिस थाना श्रीमाधाेपुर जिला सीकर हाल ग्राम विकास अधिकारी रहलाना पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमति वन्दना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर एसयू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 447 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक -मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1422-25 दिनांक 25.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम-1, 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू (जयपुर) 3-उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-अजमेर, पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/09/2025 11:39:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)